निविदा प्रपत्र

मेरे द्वारा समूह (ग्रुप)............................ (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में पडी जप्तशुदा बजरी की अनुमानित मात्रा एवं गुणवत्ता आदि की जानकारी कर ली गई है।

मैं समूह (ग्रुप)............................ (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में पडी सम्पूर्ण बजरी **(मात्रा जो निविदा सूचना में अंकित है)** के लिये अपनी निविदा बोली राशि रू. .... (प्रति टन) प्रस्तुत करता हूँ। **(निविदा राशि रू. 10/– प्रतिटन के गुणको में ही मान्य होगी)।**

बयाना/अमानत राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक..................... राशि रू............................ संलग्न है।

निविदा कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :– नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तो में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. प्रत्येक समुह के लिए अलग निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से समुह का नाम लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 20 जुलाई 2020 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ समूह के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक समुह के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि रू. 10/– प्रतिटन के गुणको में ही मान्य होगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) मे की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जप्तशुदा बजरी समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित समुह की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय ळैज्ध्ध्ंग अतिरिक्त जमा कराना होगा।

Scanned with CamScanner

10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।

11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

14. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बंधित ऊपर अंकित अधिकारियों को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।

15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनो की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।

20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

22. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमो के अनुसार होगी।

संलग्नः— 1

2

3

निविदादाता का नाम
एवं हस्ताक्षर मो. नं.

Scanned with CamScanner